न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–पंचम, सुपौल।

सत्र वाद संख्यI–402 / 2019

मरौना थाना कांड संख्यI–59 / 2014

16.01.2020 काराधीन आवेदक अभियुक्त, लक्ष्मण कामत की तरफ से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। यह वाद मरौना थाना कांड संख्यI–59 / 2019 से संबंधित है। अभियुक्त दिनांक 04. 12.2019 से कारा में है।

काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन प्रचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि, सूचक, राम बहादुर कामत के आवेदन के आधार पर वर्तमान मुकदमा अंकित किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। प्राथी / अभियुक्त की ओर से पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन वर्तमान विद्वान न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अस्वीकृत किया गया है तथा अन्य कोई जमानत आवेदन प्रार्थी / अभियुक्त की तरफ से न ही वर्तमान न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष एवं कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त पर लगाया गया सभी आरोप गलत एवं मनगढ़ंत है तथा स्थानीय राजनीति एवं दुश्मनी के कारण वर्तमान मुकदमा में प्रार्थी / अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। धारा–307 भा0दं0सं0 को छोड़कर अन्य सभी धारायें जमानतीय है, जहां तक उक्त धारा के अंतर्गत आरोपों का प्रश्न है, अभियोजन कथनानुसार उक्त धारा के अंतर्गत कोई आरोप नहीं बनता है। अभिलेख को वर्तमान विद्वान न्यायालय में सुपुर्द किया गया है। वर्तमान विद्वान न्यायालय में प्रार्थी / अभियुक्त की प्रथम उपस्थिति है। अतः अनुरोध है कि, जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा उनका कथन है कि, अभियुक्त पर सूचक के सिर पर फरसा से मारने का आरोप है। अतः जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाए।

अभियोजन का संक्षिप्त में मामला यह है कि, इस वाद के सूचक, राम बहादुर कामत ने लिखित आवेदन थानाध्यक्ष, मरौना को दिया है, जिसमें कहा गया है कि, दिनांक 13.07.2014 दिन रविवार को करीब 11–12 बजे दिन में मेरे निजी जमीन में मिट्टी जर्बदस्ती आनंद कामत, लक्ष्मण कामत, काटकर अपने खेत में दे रहा था, जब मैं मना किया तो उपरोक्त दोनों के अलावा रामानंद कामत, अमित कामत, रामचंद्र कामत, महाकांत कामत, सीता राम कामत, मुझे घेर कर गाली–गलौज करते हुए मारपीट करना चाह रहा था, तो मैं किसी तरह जान बचाकर भाग कर चले

लगातार

सत्र वाद संख्या–402 / 2019

मरौना थाना कांड संख्या–59 / 2019

लगातार

16.01.2020

आये। आज सभी लोग एकमत होकर लाठी, डंडा एवं अन्य घातक हथियार से लैश होकर करीब सात बजे सुबह गाली–गलौज करते हुए मेरे दरवाजे पर आ गये, जब मैं बोला कि, तुम लोग इस तरह क्यों बिना किसी वजह के गाली–गलौज करते हुए लाठी, फरसा आदि लेकर आये हो, इसका क्या औचित्य, तो इसी बात पर सीता राम कामत एवं रामानंद कामत ने आदेश दिया कि क्या देखते हो, साले को जान से मारकर रख दो, इसी बात पर लक्ष्मण कामत अपने हाथ में लिये फरसा से जान मारने की नियत से मेरे सिर पर मारा, जिससे मेरा सिर जख्मी हो गया। बीच बचाव करने मेरी पत्नी लालो देवी आयी तो उसे भी लाठी, डंडा से वे लोग मारकर जख्मी कर दिये।

काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया। परिशीलन से विदित होता है कि, प्रस्तुत वाद में सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर औपचारिक प्राथमिकी धारा–147,148,149,341,323,324,307,504,427, भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज की गयी है। प्रस्तुत वाद में संज्ञान धारा–341,323,325,307,447,504 / 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत लिया गया है। प्रस्तुत वाद में अभिलेख के परिशीलन से विदित होता है कि, काराधीन अभियुक्त, पर सूचक के सिर पर फरसा से मारने का विशिष्ट आरोप है, जो कि, शरीर का मर्म स्थल है। जख्म प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसमें जख्म संख्या–दो को गंभीर बताया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए काराधीन अभियुक्त, लक्ष्मण कामत को जमानत पर छोड़ना न्यायसंगत और उचित नहीं समझता हूँ। अतः आवेदक / काराधीन अभियुक्त, लक्ष्मण कामत को जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का दिनांक 13.12.2019 का जमानत आवेदन निस्तारित किया जाता है।

लेखापित

(कमलेश चंद्र मिश्र)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–पंचम, सुपौल।

दिनांक 16.01.2020